PRESS NOTE MEERUT RANGE

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.05.19

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 06अन्तर्राष्ट्रीय बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा मे नाजायज असलाह व कारतूस तथा 02 कार सहित बरामद :- दिनांक-07/05/2019 को चैकिंग के दौरान थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 गाडियो मे संन्दिग्ध बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग के दौरान 02 बदमाश 1.रविदत्ता पुत्र ठाकुर दास नि0-नजफगढ दिल्ली, 2.शहनवाज पुत्र नूरुद्दीन नि0-रसूलपुर ओरगांबाद थाना बहावनपुर जिला मेरठ घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र लोनी भेजा गया तथा 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 03 पिस्टल 32 बोर मय 09 जिन्दा व 04 खोका कारतूस 32 बोर एवं 03 तमचां मय 08 जिन्दा व 03 खोका कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त 02 कारे बरामद हुई है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके सम्बन्ध मे आसपास के राज्यो से भी आपराधिक घटनाओ की जानकारी की जा रही है । अन्य विवरण निम्नवत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1- रवी दत्ता पुत्र ठाकुरदास नि0 नजफगढ थाना नजफगढ दिल्ली (घायल)

2- शाहनवाज पुत्र नुरूद्दीन नि0 रसूलपुर ओरंगावाद थाना भावनपुर मेरठ (घायल)

3-निगम खारी पुत्र राजपाल नि0 खानपुर थाना ट्रोमिकासिटी गा0वाद

4-रविन्द्र पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम भोला सतवई थाना जानी मेरठ हाल- म0न0 408 सरिता विहार थाना लोनी गा0वाद

5-जान मोहम्मद पुत्र वसीम नि0 ग्रम सराय रसूलपुर थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर

6-अशरफ पुत्र युसुफ नि0 मो0 सलेमपुर रोड सिकन्द्रावाद हाल- शहनवाज का डेरी हकीकतपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण-

1- 03 पिस्टल 32 बोर मय 09 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस

2. 03 तमंचे 315 बोर मय 08 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस

3. घटना में प्रयुक्त 02 कार

आपराधिक इतिहास

1- रवी दत्ता पुत्र ठाकुरदास नि0 नजफगढ थाना नजफगढ दिल्ली (घायल)

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 299/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

3. एफ आई आर न0 116/17 धारा 25 ए एक्ट व 411 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली

4. एफ आई आर न0 255/17 धारा 395/397/34 भादवि थाना मयूर विहार दिल्ली

5. एफ आई आर न0 512/13 धारा 307/34 भादवि व 25/27/54/59 ए एक्ट दिल्ली

6. एफ आई आर न0 21/11 धारा 365/323/380/34 भादवि थाना विन्दापुर दिल्ली

7. एफ आई आर न0 21/14 धारा 302 भादवि थाना सूरजपुर जनपद नोयडा

2- शाहनवाज पुत्र नुरूद्दीन नि0 रसूलपुर ओरंगावाद थाना भावनपुर मेरठ (घायल)

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. मु0अ0सं0 298/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

3.एफ आई आर न0-335/19 धारा 147/148/149/307/452/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ

3-निगम खारी पुत्र राजपाल नि0 खानपुर थाना ट्रोमिकासिटी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. मु0अ0सं0 296/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

4-रविन्द्र पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम भोला सतवई थाना जानी मेरठ हास म0न0 408 सरिता विहार थाना लोनी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2.मु0अ0सं0 295/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

5-जान मोहम्मद पुत्र वसीम नि0 ग्राम सराय रसूलपुर थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. मु0अ0सं0 297/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

3. मु0अ0सं0 335/19 धारा147/148/148/307/452/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ

6-अशरफ पुत्र युसुफ नि0 मो0 सलेमपुर रोड सिकन्द्रावाद हाल शहनवाज का डेरी हकीकतपुर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. मु0अ0सं0 300/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा ग्राम गढी में हुई सनसनीखेज हत्या के हत्यारोपी गिरफ्तारः— दिनांक 02.05.2019 को ग्राम गढी में दोपहर 1 बजे कल्लू नामक व्यक्ति द्वारा अपनी मां कुसुम के ललकारने पर राजू पुत्र ओम प्रकाष के घर में घुसकर निर्ममता पूर्वक चाकू से वार किया और वह जान बचाने के लिए घर से बाहर निकला तो गली में करीब 200 मी0 तक दौडाकर चाकू से वार करता रहा, इस बीच राजू जान बचाने के लिए बचाओ—बचाओ की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी भयवष सामने नही आया अन्ततः चाकू से आईचोटो के कारण निढाल होकर गिर गया। तथा कतिपय ग्रामीणों द्वारा नजदीकी वरदान अस्पताल मेंभर्ती कराया गया, जहा पर राजू की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मृतक की पत्नी पूजा द्वारा मु0अ0सं0 708/19 धारा 302 भादवि अभियुक्त कल्लू व उसकी मां कुसुम के विरूद्व पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तगणों की तलाष में लगातार 4 टीमें सम्भावित स्थाना पर दबिष देते हुए गिरफ्तारी का प्रयास करती रही।

आज दिनांक 08.05.19 को थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा मोरटा चौकी क्षेत्र के गढी गांव में हुयी सनसनीखेज हत्या में वांछित अभियुक्त हनीष उर्फ कल्लू एवं महिला कुसुम कों मुखबिर की सूचना पर कचहरी परिसर के सामने से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

घटना /पूछताछ का संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त कल्लू से पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह मृतक राजू की पुत्री से प्यार करता था, और षादी करना चाहता था, राजू इस षादी का विरोध करता था और अपनी पुत्री का रिष्ता कहीं और तय कर दिया था, इस बात से क्षुब्ध होकर कल्लू राजू को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। करीब 2 माह पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके 1 चाकू मंगाया और लगातार राजू को मारने की ताक में रहने लगा इस योजना मे इसकी मां कुसुम भी उकसाती रहती थी, अभियुक्त कल्लू ने मौका देखकर दिनांक 02.05.2019 की दोपहर ग्राम गढी में जब राजू का दरवाजा खुला हुआ था, तो राजू के घरमें घुसकर चाकू से वार किया जब जान बचाने के लिए बाहर भागा तो गली में दिनदहाडे दौडा–दौडाकर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी, तथा हत्या करने के उपरांत सिकरोड गेट के पास वाल्मीकि मंदिर के पीछे अपने रक्तरचित कपडे व घटना में प्रयुक्त चाकू छिपा दिया एवं फरार हो गया घटना में प्रयुक्त चाकू कल्लू ने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तथा पुलिस से बचने के लिए जगह–जगह भागता रहा । न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, कि पुलिस ने पकड लिया। इस प्रकार अभियुक्त ने योजनाबद्व तरीके से इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः–

1. हनीश उर्फ कल्लू पुत्र ओमप्रकाष नि0 ग्राम गढी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
2. कुसुम पत्नी ओमप्रकाष नि0 ग्राम गढी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः–

1. अददचाकू (आला कत्ल),

2. रक्तरंजित कपडे

फ्लैटों/घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 02 अर्न्तराज्जीय शातिर नकबजन गिरफ्तार, कब्जे चोरी किये गये लाखों रुपयें के सोने व चांदी के जेवरात बरामदः– थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 08.05.19 को काला पत्थर रोड के पास से 02 शातिर **नकबजनों**को चोरी किये सामान व 02 चाकूओं के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पतेः–

1:– मौ0 आबिद पुत्र असाउदीन निवासी ग्राम पचैली चौक थाना पिलासी जिला अररिया बिहार, हाल निवासी ग्राम भोवापुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

2:– मौ0 फैसल उर्फ राहुल पुत्र फैयाज निवासी ग्राम पचैली चौक थाना पिलासी जिला अररिया बिहार, हाल निवासी ग्राम भोवापुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका:–

अभियुक्त शातिर किस्म के चोर/नकबजन है जो ग्रुप बनाकर एनसीआर व अन्य क्षेत्रों में घूम–घूमकर बन्द पडे मकानों/फ्लैटों/दुकानों की रैकी कर उनको अपना निशाना बनाते है तथा उक्त सोसाईटियों/कालोनियों में प्लम्बर/बिजली मिस्त्री/कोरियर/हाउस किपिंग/गेस्ट आदि बनकर आसानी से बन्द पडे मकानों/फ्लैटों में ताला तोडकर/सैंद लगाकर नकबजनी करके दुकानों/घरों में घूसकर कैश/सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप, कैमरा व अन्य कीमती चोरीकरके फरार हो जाते हैं। अभियुक्त मौ0 फैसल शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में वर्ष–2018 में थाना जीआरपी आनन्द विहार दिल्ली से चोरी में जेल जा चुका है तथा अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि नम्बर/दिसम्बर–2018 में जनपद कन्नौज में एक राशन की दुकान का ताला तोडकर चोरी की थी जिसमें काफी कैश व लैपटॉप आदि सामान चोरी किया था तथा दिनांक 26/27.04.2019 की रात्रि में अपने साथियों के साथ मिलकर मौसमपुर कन्नौज में एक सुनार की दुकान से नकबजनी कर सोने चांदी के आभूषण चोरी किये थे जिसके सम्बंध में थाना कोतवाली जिला कन्नौज पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही की जा रही हैं। अभियुक्तगणों से की गयी अन्य चोरियों व गैंग के अन्य साथियों के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही हैं।

चोरी के बरामद सामान का विवरण:–

1:–एक सोने की चैन व एक जोडी पायल **(अ0स0–2580/2018 धारा 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)**

2:–01 मंगलशूत्र, 01 चांदी का सिक्का, 01 हाथ घडी **(अ0स0–2601/2018 धारा 457/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)**

3:–970/– रुपये**(अ0स0–2723/2018 धारा 457/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)**

4:–07 बच्चों के हाथ के कडे व 01 चांदी की चम्मच **(अ0स0–2811/2018 धारा 454/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)**

5:–एक जोडी हाथफुल व एक राखी**(अ0स0–281/2019 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली कन्नौज)**

6:–एक चैन सफेद धातू

7:–03 चैन (पीली धातू)

8:–01 माला काले व पीले मोतियों की

9:–02 अंगूठी नगदार

10:–03 अदद छल्ले

11:–03 कान के टॉप्स

12:–01 पैकेट गले की चैन

13:–01 पैकेट नाक की कील

14:–01 पैकेट गोल्ड पैंच

15:–74 सिक्के (01 व 02 रुपये के)

<u>चोरी करने के उपकरणः–</u>

1:–02 आलानकब लोहे के

1:–01 पेचकस

1:–01 पिटठू बैग

<u>अभियुक्त मौ0फैसल का अपराधिक इतिहास</u>

d0	**अ0स0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	2580 / 18	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
2	2601 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
3	2723 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
4	2811 / 18	454 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
5	281 / 19	380 / 411 भादवि	कोतवाली	कन्नौज
6	05 दिसम्बर–18	379 / 411 भादवि	जीआरपी आनन्द विहार	दिल्ली
7	1021 / 19	411 / 414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
8	1020 / 19	25 / 4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद

<u>अभियुक्त मौ0 आबिद अपराधिक इतिहास</u>

d0	**अ0स0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	2580 / 18	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
2	2601 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

3	2723/18	457/380/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
4	2811/18	454/380/411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
5	281/19	380/411 भादवि	कोतवाली	कन्नौज
6	1021/19	411/414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
7	1019/19	25/4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद

दिनांक 05.05.2019 की रात को पसौंडा गांव युनुस उर्फ दीन्ना की हुई हत्या का खुलासा 01 अभियुक्त मय हत्या में प्रयुक्त बैड शीट (चादर) ,गाडी वेगनार नं0 **DL 8CAJ 3471** सहित गिरफ्तारः– दिनांक 05.05.2019 को पसौंडा क्षेत्र में युनुस उर्फ दिन्ना नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं0- 988/19 धारा 302/201/506 भादवि पंजीकृत हुआ था|

उक्त घटना का खुलासा करते हुए थाना साहिबाबाद द्वारा दिनांक 08.05.2019 को पसौंडा पुलिया के पास ई रिक्शा की पार्किंग से अभियुक्त शाहरुख पुत्र नूर मौहम्मद नि0 बसौंडा पट्टी पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद को समय 01.15 बजे मय हत्या में प्रयुक्त बैड शीट, गाडी वेगनार नं0 **DL 8CAJ 3471** सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का **नाम व पता** :–

1– शाहरुख पुत्र नूर मौहम्मद नि0 बसौंडा पट्टी पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद

अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः–

1– गले घोटने में प्रयुक्त बैडशीट (चादर)

2– हत्या में प्रयुक्त वेगनार गाडी नं0 DL 8CAJ 3471

अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन कुरैशी नि0 पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद से पिछले काफी समय से पैसों का लेन देन चल रहा है । अभियुक्त ने मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से 20% की दर से 1,25,000 रु ब्याज पर लिये थे। जिसका वह पिछले काफी समय से ब्याज दे रहा था । अब अभियुक्त उक्त ब्याज व रुपये के लिए मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से मना कर रहा था किन्तु मृतक नहीं माना और कई बार इसी रुपये के लेन देन के ऊपर इन दोनों की आपस में कहा सुनी भी हुई थी । अभियुक्त शाहरुख

उपरोक्त ने मृतक से पीछा छुडाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई । इस काम के लिए उसने अपने दोस्त इमरान पुत्र नसीर नि0 पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2019 को मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना को पसौंडा पुलिया के पास स्थित अपनी ई रिक्शा की पार्किंग में रुपये देने के बहाने से रात में लगभग 09.00 बजे फोन करके बुलाया तथा उसके आने पर उसे पानी में मिलाकर नींद की गोलिया पिला दीं जिससे वह बेहोश हो गया तथा अपने साथी इमरान की मदद से बैठशीट (चादर) से मृतक उपरोक्त को गला घोटकर मार दिया तथा पार्किंग में खडी वेगनार गाडी नं0-DL8CAJ3471में मृतक के शव को रखकर सिकन्दरपुर रोड पर खाली जगह में फेंक आये थे । अभियुक्त पर काफी कर्ज होने की वजह से उसने यह हत्या अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर की जिससे उसे रुपया न देना पडे । हत्या के बाद से ही अभि0 शाहरुख का साथी इमरान उपरोक्त फरार है

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 08.05.2019 सराहनीय कार्य

इकोटेक तृतीय

दिनांक 08.05.2019 को थाना इकोटेक तृतीय पुलिस द्वारा खेडा चौगानपुर गोल चक्कर से 03 शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से एक फॉरच्यूनर गाडी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा दिनांक 07.05.19 को थाना क्षेत्र के प्लाट नम्बर 161/162 कम्पनी रैकी एम फाइबर प्रा0लि0 के मालिक विकास मिश्रा व सीईओ रोहन सेठ से पचास लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. रणजीत पुत्र ओमप्रकाश निवासी मरीरनजीत सिंह थाना जयसिंह जिला सुल्तानपुर।
2. दीपक पुत्र वेदपाल भाटी निवासी देवटा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. सौरभ पुत्र चंद्रमल निवासी आलमगीरपुर धनौरा थाना कोतवाली जिला बुलंदशहर।

बरामदगी –:

1. एक फॉरच्यूनर कार

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहासः–

रणजीत पुत्र ओमप्रकाशः–

1 मु0अ0स0 194/19 धारा 386/504 भादवि थाना इकोटेक–3 जिला गौतमबुद्धनगर ।

दीपक पुत्र वेदपाल भाटी

1. मु0अ0स0 194/19 धारा 386/504 भादवि थाना इकोटेक–3 जिला गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0स0 465ए/10 धारा 147/307/323/506/427 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0स0 927/11 धारा 147/148/149/323/504/506/427 भादवि थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0स0 352/14 धारा 332/353/323/506 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0स0 617/17धारा 147/332/353/504/506 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0स0 3/18 धारा 3/4 गैंगस्टर एक्ट थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0स0 169/18 धारा 147/148/149/452/307/392 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0स0 217/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।

सौरभ पुत्र चंद्रमल

1. 194/19 धारा 386/504 भादवि थाना इकोटेक–3 जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना दादरी

दिनांक 08.05.2019 को थाना दादरी पुलिस द्वारा दादरी क्षेत्र मे दिनांक 05.01.2019 को धर्मी उर्फ धमेन्द्र की हत्या के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 20/19 धारा 147/148/149/504/506/364/323/302 भादवि मे फरार अभियुक्त सोनू पुत्र संजय निवासी मोमनाथल थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर पूर्व मे श्रीमान वरीष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर द्वारा 10 हजार का ईनाम घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त रणदीप भाटी गैंग का सदस्य है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. सोनू पुत्र संजय मोमनाथल थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहासः–

1 मु0अ0स0 20/19 धारा 147/148/149/504/506/364/323/302 भादवि थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0स0 50/19 धारा 147/148/149/186/188/332/353/ भादवि थाना नॉलेज पार्क जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना सेक्टर 58

दिनांक 07.05.2019 की रात्री को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा जयपुरिया इंस्टीटयूट ए ब्लाक सैक्टर 62 से 03 चोरो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का एक सीपीयू,, 02 मॉनीटर, 02 की–बोर्ड बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. वीर सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी कविता पैलेस के पास खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद।
2. अंकित पुत्र लवलेश शर्मा निवासी कविता पैलेस के पास खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद।
3. सुरेश पुत्र छेदी लाला निवासी चौक विहार बहलोलपुर थाना फेस–3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी –:

1. एक सीपीयू
2. दो मानीटर
3. 02 की–बोर्ड

आपराधिक इतिहासः–

1 मु0अ0स0 216/19 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 58 नोएडा ।

<u>प्रेस नोट दिनांक 08.05.2019 जनपद मेरठ</u>

<u>अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>थाना नौचन्दी पुलिस द्वारा</u> नौचन्दी ग्राउण्ड से अभियुक्त मौहम्मद रिजवान पुत्र मौहम्मद यामीन नि0 काशीराम योजना कालोनी थाना खरखौदा मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टे की खाई बाडी करते पर्चा सट्टा व 800/- रूपये नगद बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी

<u>अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>थाना फलावदा पुलिस द्वारा</u> ग्राम झिझांडपुर से अभियुक्त भागमल उर्फ भग्गू पुत्र केस्सा नि0 ग्राम झिंझाडपुर थाना फलावदा मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 लीटर शराब खाम बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना फलावदा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 08.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्तगण अवैध अस्लाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.05.19 को थाना खुर्जानगर पुलिस मुण्डाखेडा चौराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग कर रही थी कि कुछ देर उपरान्त मुण्डाखेडा की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जो पुलिस को चैकिंग करते देख पीछे मुडकर जाने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर दोनो अभियुक्तो को समय करीब प्रातः 08.20 बजे अवैध अस्लाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता–

1. जुनैद पुत्र जहीर निवासी बरौली रोड मौ0 सरायअल्लो कस्बा व थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
2. सद्दाम पुत्र वहीद निवासी उपरोक्त।

बरामदगी–

1. 02 तंमचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.05.19 को थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यापारी रजत वार्ष्णेय पुत्र यशपाल सिंह मौ0 ढौरी कस्बा व थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर अपने घर से मण्डी जा रहा था कि दोनो अभियुक्तो द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर जी0टी0 रोड पर उनके साथ लूटपाट का प्रयास किया गया था विरोध करने पर जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर फरार हो गये थे, इस संबंध मे थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0–253/19 धारा 393/307 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में दोनो अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्त जुनैद थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–60/19 धारा 379 भादवि मे भी वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है–

अभियुक्त जुनैद का अपराधिक इतिहास–

1– मु0अ0सं0–1064/2017 धारा 147,323,341,354 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

2– मु0अ0सं0–1165/2017 धारा 392 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

3– मु0अ0सं0–1167/2017 धारा 392 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

4– मु0अ0सं0–1168/2017 धारा 392 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

5— मु0अ0सं0—1170/2017 धारा 41/102 दप्रसं व 147,148,149,307,414 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

6— मु0अ0सं0—1171/2017 धारा 27/25 शस्त्र अधि0 थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

7— मु0अ0सं0—282/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

8— मु0अ0सं0—60/2019 धारा 379 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

9— मु0अ0सं0—253/2019 धारा 393/307 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सद्दाम का अपराधिक इतिहास—

1— मु0अ0सं0—48/2018 धारा 392,34 भादवि थाना अमर कालौनी दिल्ली।

2— मु0अ0सं0—110/2018 धारा 307,414 भादवि थाना हसनपुर जनपद ज्योतिबाफुलेनगर।

3— मु0अ0सं0—111/2018 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना हसनपुर जनपद ज्योतिबाफुलेनगर।

4— मु0अ0सं0—253/2019 धारा 393/307 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0—266 व 267/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम—

1. श्री अरविन्द कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर।
2. व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, उ0नि0 विपिन कुमार।
3. है0का0 धनराज, है0का0 देवेन्द्र सिंह।